न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ दिनेश राय सापेला आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, (तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल)
2. श्रीमती मधु पत्नि चुन्नीलाल जी, जाति–सुथार, निवासी–जावाल, तहसील व जिला सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 53/2024

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

–ः निर्णय ः– दिनांक 22 अगस्त, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 12–3–2021 एवं इसकी अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173–क के अन्तर्गत जारी विक्रय **विलेख संख्या 9 दिनांक 22–3–2021** को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ.139(48)/पट्टाजांच/सिरोही/विधी/पं.स./2022/807 दिनांक 24–6–2022 के तहत जावाल नगरपालिका (पूर्व ग्राम पंचायत) के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–7–2022 के तहत गठित कमेटी द्वारा की गई जांच में उक्त प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 12–03–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में जारी उक्त संपरिवर्तन विक्रय विलेख में अनियमितता बरती गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173 क अन्तर्गत संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर आबादी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है एवं इस नियम के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को आवासीय आबादी भूमि का गैर आवासीय प्रयोजनार्थ, उक्त संपरिवर्तन विक्रय विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारूप 48 में पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 68 के तहत प्रार्थना पत्र शुल्क की राशि नही वसूली गई है। उक्त संपरिवर्तित विक्रय विलेख आवासीय संपरिवर्तित खसरा संख्या 2217/2212 पर जारी किया गया है, जो निजी खातेदारी भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित की गई है, जिस पर व्यावसायिक परिवर्तन का पट्टा नियम विरुद्ध जारी हुआ है। उक्त जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 की पालनापूर्ण रूप से नही की गई है। उक्त जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायतीराज नियम ,1996 के नियम 173 (क) की भी पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। उक्त जारी विक्रय विलेख में पत्रावली के प्रार्थना पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नहीं की गई है। दिनांक 05–2–2021 को आयोजित बैठक में ही पत्रावली दर्ज की गई एवं उसी तिथि को आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है। उक्त विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1996 के नियम 173(क)(02) अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऐसा आवेदन के प्राप्ति पर भूमि जिसके उपयोग का परिवर्तन अपेक्षित है, के आसपास के परिक्षेत्र के व्यक्तियों से परिक्षेत्र के सहजदृश्य स्थान पर पंचायत ओर ऐसे आस पडौस में उसे डोडी पिटवाकर या अन्य ध्वनि विस्तारक युक्ति उद्‌घोषित करवा कर आपत्तियां आमंत्रित करेगा, नोटिस को उस परिक्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में नियम 173(क)(2) की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 02 (दो) को जारी विक्रय विलेख में नियम 173(क) के प्रावधान अनुसार दस रूपये प्रति वर्गमीटर या आवासीय आबादी भूमि के जिला स्तरीय समिति दर की रकम का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो का प्रावधान किया गया है, परन्तु पत्रावली में कही भी 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर या आवासीय आबादी भूमि की जिला स्तरीय समिति दर का उल्लेख नही किया गया है, तथा दर संलग्न नही की गई है।राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 173(क)(ii) अनुसार कोई भूमि जो पंचायत द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित या विक्रीत की गई थी, वहां ऐसी भूमि के उपयोग को परिवर्तित किया जाना अनुज्ञात नही किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त विक्रय विलेख में इस नियम की पालना नही की गई है। उक्त पट्टो की जांच हेतु गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि दिनांक 12–03–2021 को पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 में पारित 39 पत्रावलियों मे से दिनांक 22–3–2021 को 25 पत्रावलियां तथा दिनांक 31–03–2021 को 06 पत्रावलियां पंचायत समिति, सिरोही के प्रशासक द्वारा अनुमोदित की गई तथा उपरोक्त पत्रावलियों की सम्पूर्ण राशि 28,71,956/– रुपये में से 25,02,668/– रूपये का तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जावाल के खाता संख्या 51073610955 में नगरपालिका गठन दिनांक 11–4–2021 के बाद माह मई, 2021 से अगस्त 2021 के मध्य जमा होना पाया गया। जबकि ग्राम पंचायत, जावाल से नगरपालिका जावाल दिनांक 11–4–2021 को परिवर्तित हो चुकी थी। नगरपालिका गठन के दो से पांच माह बाद उपरोक्त राशि पंचायत कोष में जमा करना प्रमाणित करता है कि उपरोक्त पट्टों को जारी करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत, जावाल के अवसान हो जाने के पश्चात् अनाधिकृत रूप से की गई। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 168(3) के तहत पट्टा बुक पंचायत समिति द्वारा मुद्रित करवा कर ग्राम पंचायत को आवंटित की जायेगी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 (दो) को जारी पट्टा स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा मुद्रित कर जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 (दो) द्वारा जिस दिन संपरिवर्तन राशि का शुल्क जमा करवाया गया है, उसी दिन पत्र क्रमांक 786 दिनांक 22–03–2021 द्वारा इसका अनुमोदन चैक क्लीयर होने से पूर्व ही कर दिया गया।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 12–8–2025 को प्रार्थी या प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के आदेश की पालना में केवल मात्र राजनैतिक दबाव के कारण द्वेषभावना रखते हुए गलत तरीके से अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसका हकीकत में कोई औचित्य नहीं है एवं न ही प्रार्थी विकास अधिकारी को यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है, क्योंकि

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

स्वयं प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा गठित स्थापना प्रशासक समिति द्वारा पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया है और उक्त कमेटी में प्रार्थी स्वयं भी सम्मिलित है, इस कारण काननून यह निगरानी आवेदन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा अपने आवासीय पट्टा विलेख की भूमि को नियमानुसार आवासीय से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रारूप् 48 में मय दस्तावेज पत्रावली प्रस्तुत की गई जो पूर्ण रूप से विधि अनुसार सही पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा पत्रावली पेश करने में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रृटि नहीं की गई है एवं नियम 173 (क) के तहत प्रारूप 48 में आवेदन पेश करने का ही प्रावधान है जिसमें आवेदन की कोई शुल्क निर्धारित नहीं की गई व न ही कोई प्रावधान है। प्रार्थी ने केवल मात्र गलत तरीके से बिना कानूनी जानकारी के अभाव में यह गलत निगरानी आवेदन पेश किया है, जहां तक नियम 68 का प्रश्न है उक्त नियम में आवेदन की फीस अन्य कार्य हेतु निर्धारित की गई है न की आवासीय से गैर आवासीय प्रयोजन हेतु। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों में यदि कोई भी आबादी भूमि होने से पूर्व व राजस्व भूमि होने से आबादी विस्तार हेतु आवंटित की जाती है एवं तत्पश्चात् वहां पर निवास करने व्यक्तियों को आबादी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया जाता है, इस प्रकरण में भी खातेदारी कृषि भूमि को नियमों के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भूमि रूपान्तरण की गई एवं तत्पश्चात् आबादी भूमि में पट्टा विलेख को आवासीय भूमि में ऋण प्रयोजनार्थ हेतु नियम 173(क) में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रावधान होने से नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि लेकर व्यावसायिक प्रयोजन में संपरिवर्तन कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख जारी किया गया जो पूर्ण रूप से नियमो के तहत जारी किया गया। चूंकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173–क में यह प्रावधान किया गया है एवं आवासीय भूमि के पट्टा विलेख को व्यावसायिक या अन्य प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करने के आदेश नियमों के तहत किये गये है और उसी के तहत आवासीय भूमि का संपरिवर्तन राशि लेकर पट्टा विलेख जारी किया गया है। जिसका अनुमोदन भी पंचायत समिति सिरोही की स्थापना एवं प्रशासन समिति जिसमें स्वयं प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही सदस्य है एवं उनके द्वारा उसका अनुमोदन किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पूर्ण रूप से नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को संपरिवर्तित विक्रय विलेख का पट्टा जारी किया है एवं ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05–2–2021 में ही पत्रावली प्रस्तुत है जिसका पूर्ण रूप से उल्लेख है एवं उसी दिन पंचायत द्वारा विधिवत् कार्यवाही अमल में लाई गई है, फिर भी यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी नियमों की पालना नही की हो तो अप्रार्थी संख्या 2 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा आवासीय भूमि के उपयोग के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु विधिवत रूप से पत्रावली प्रस्तुत की जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से नियमों के अर्न्तगत जाँच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 12–03–2021 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर गैर आवासीय प्रयोजनार्थ पत्रवलीयां स्वीकृत की गई एवं उक्त स्वीकृत पत्रावलीयों को उक्त पंचायत समिति की स्थापना एवं प्रशासन समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत में निर्धारित शुल्क अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा जरिये चैक जमा कराया गया। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने नियमानुसार नियमों के अनुरूप निर्धारित शुल्क ग्राम पंचायत, जावाल में जरिये चैक जमा कराया गया एवं तत्पश्चात् ग्राम पंचायत जावाल द्वारा विधिवत् रूप से गैर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया है जो पूर्ण रूप से सही जारी किया गया है। जहां तक संपरिवर्तन की राशि नगर पालिका के गठन दिनांक 11–04–2021 के बाद मई, 2021 से अगस्त, 2021 के मध्य ग्राम पंचायत, जावाल के खाते में जमा होने का प्रार्थी द्वारा जो कथन किया है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है तथा जहां तक राशि जमा होने का प्रश्न है जो राशि

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

राजकोष में जमा होनी थी वह पंचायत के राजकोष में ही जमा हुई है जिससे किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि कारित नही हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने पूर्ण रूप से पट्टा विलेख की राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाई है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित अपने कथनों से की जा चुकी है एवं पट्टा विलेख में भी जमा राशि का उल्लेख किया हुआ है। चूंकि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित आलौच्य प्रस्ताव से कुल 31 पत्रावलियां (जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 की पत्रावली भी शामिल है) को गैर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के संपरिवर्तन हेतु अनुमोदन के लिये पंचायत समिति, सिरोही को भेजी गई, जिस पर स्वयं प्रार्थी व स्थापना समिति के सदस्य व प्रधान ने ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन हेतु भेजी गई उक्त पत्रावलीयों का अनुमोदन दिनांक 31—03—2021 को व दिनांक 22—03—2021 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर किया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि स्वयं प्रार्थी द्वारा पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी नियमों की अवहेलना नहीं की है बल्कि पंचायत राजकोष को राशि प्राप्त होने से आय में वृद्धि हुई है इस कारण प्रार्थी स्वयं को उक्त निगरानी आवेदन पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं है न ही प्रार्थी निगरानी आवेदन पेश करने में सक्षम है। चूंकि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही स्वयं द्वारा स्थापना प्रशासन समिति में प्रस्ताव पारित कर पत्रावली का अनुमोदन किया है इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा आवासीय पट्टेशुदा भूमि का गैर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173 (क) में निधारित की गई राशि के अनुसार राशि पंचायत कोष में जमा कराई है जिसमें पंचायत कोष को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान कारित नहीं हुआ है, केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने की बदनियति से निगरानी आवेदन पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173—क के अर्न्तगत आवासीय आबादी भूमि का गैर—आवासीय प्रयोजन सपरिवर्तन विक्रय विलेख **संख्या 9 दिनांक 22—3—2021** को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, जावाल के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 12—3—2021 के अनुसरण में जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173(क) में "संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर आबादी क्षेत्र में भूमि के उपयोग का परिवर्तन" का प्रावधान है, जिसके अर्न्तगत उप नियम (2) में आवेदन प्राप्त होने पर नियम में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए गैर आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित किये गये संपरिवर्तन प्रभार अनुसार राशि के संदाय व उप नियम (10) व (13) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा प्राप्त होने पर और प्रभारों की रकम निक्षप्ति किये जाने के तथ्य के सत्यापन कर लिये जाने पर पंचायत, पूर्व पट्टा विलेख या, यथास्थिति, पट्टा को अतिष्ठित करते हुए प्ररुप 50 में नया पट्टा विलेख जारी करेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां, जांच प्रतिवेदनों एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के कथनों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रारूप 48 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र के साथ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 के तहत प्रार्थना पत्र शुल्क की राशि नही वसूली गई है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में जिस भूमि का संपरिवर्तित विक्रय विलेख जारी किया गया है वह भूमि आवासीय संपरिवर्तित खसरा संख्या 2217/2212 की भूमि में है, जो निजी खातेदारी से आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित की गई है, जिस पर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा व्यावसायिक परिवर्तन का पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया है। उक्त जारी विक्रय

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

विलेख में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 173क की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। उक्त विक्रय विलेख जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 05—2—2021 को आयोजित बैठक में ही पत्रावली दर्ज की गई एवं उसी तिथि को आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो नहीं किया गया है। उक्त विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 173(क)(02) अनुसार ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भूमि जिसके उपयोग का परिवर्तन अपेक्षित है, के आसपास के परिक्षेत्र के व्यक्तियों से परिक्षेत्र के सहजदृश्य स्थान पर पंचायत और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चिपकाकर और आस पडौस में उसे डोडी पिटवाकर या अन्य ध्वनि विस्तारक युक्ति द्वारा उद्घोषित करवा कर आपत्तियां आमंत्रित करेगा व नोटिस को उस परिक्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु इसकी पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 02 (दो) को जारी विक्रय विलेख में नियम 173 क के प्रावधान अनुसार दस रूपये प्रति वर्गमीटर या आवासीय आबादी भूमि के जिला स्तरीय समिति दर की रकम का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो का प्रावधान किया गया है, परन्तु पत्रावली में कही भी 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर या आवासीय आबादी भूमि की जिला स्तरीय समिति दर का उल्लेख नही किया गया है, तथा दर पत्रावली में संलग्न नही की गई है। उक्त पटट्े की जांच हेतु गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि दिनांक 12—03—2021 को पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 में पारित 39 पत्रावलियों में से दिनांक 22—3—2021 को 25 पत्रावलियां तथा दिनांक 31—03—2021 को 06 पत्रावलियां पंचायत समिति, सिरोही के प्रशासक द्वारा अनुमोदित की गई है तथा उक्त पत्रावलियों की सम्पूर्ण राशि 28,71,956/— रुपये में से 25,02,668/— रुपये का तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जावाल के खाता संख्या 51073610955 में नगरपालिका गठन दिनांक 11—4—2021 के बाद माह मई, 2021 से अगस्त, 2021 के मध्य जमा कराई गई है, जबकि ग्राम पंचायत, जावाल से नगरपालिका, जावाल में दिनांक 11—4—2021 को परिवर्तित हो चुकी थी अर्थात् नगरपालिका गठन के दो से पांच माह बाद उपरोक्त संपरितर्वन राशि पंचायत कोष में जमा हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विक्रय विलेख जारी करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत जावाल के अवसान हो जाने के पश्चात् की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12—3—2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 168(3) के तहत पट्टा बुक पंचायत समिति द्वारा मुद्रित करवा कर ग्राम पंचायत को आवंटित की जायेगी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 (दो) को जारी पट्टा स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा मुद्रित कर जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 (दो) द्वारा संपरिवर्तन राशि का शुल्क जिस दिनांक को जमा करवाया गया व उसी दिन पत्र क्रमांक 786 दिनांक 22—03—2021 द्वारा इसका अनुमोदन चैक क्लीयर होने से पूर्व ही कर दिया गया है।

इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जांच प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में जिस भूमि का आवासीय भूमि से गैर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर विक्रय विलेख जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही होकर आवासीय संपरिवर्तित खसरा संख्या 2217/2212 की भूमि में जारी किया गया है जो निजी खातेदारी भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित की गई है, जिस पर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा व्यावसायिक संपरिवर्तन का पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया गया है। निजी खातेदारी से संपरिवर्तित भूमि को आवासीय, व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करने एवं ऐसी भूमि के पट्टा विलेख (विक्रय विलेख) जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

नियम 173–के अर्न्तगत आवासीय आबादी भूमि का गैर–आवासीय प्रयोजन सपंरिवर्तन विक्रय विलेख जारी करने में भारी अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार करके ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में जारी संपरिवर्तन विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 12–3–2021 एवं इसकी अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173–क के अर्न्तगत क्षेत्रफल 3176.08 वर्गफुट भूमि का जारी विक्रय विलेख संख्या **9 दिनांक 22–3–2021** को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*